दिनांक–23.12.2025 (मंगलवार) को पूर्वाह्न 10:30 बजे से माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– पंजी में संधारित।

माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री द्वारा बैठक में सभी उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निम्न निदेश दिए गए :–

1. **समाहरण :–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए निर्धारित लक्ष्य कुल 4756.74 करोड़ रूपये के विरूद्ध दिनांक 18 दिसंबर, 2025 तक मात्र 1825.63 करोड़ रूपये (38.38 प्रतिशत) का समाहरण किया गया है, जो कि निर्धारित लक्ष्य से कम है। विभाग द्वारा दिसम्बर, 2025 तक कुल समाहरण लक्ष्य का 50 प्रतिशत प्राप्त किया जाना है। अधिकांश जिले यथा पटना, औरगाबाद, रोहतास, गया, जमुई, लखीसराय, सारण, नालंदा, बेतिया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, कटिहार, सुपौल, कैमूर, दरभंगा, मुंगेर, वैशाली, जहानाबाद, सीतामढ़ी, मधेपुरा, बेगुसराय एवं शिवहर द्वारा 40 प्रतिशत से भी कम समाहरण किया गया है।

इस संबंध में सभी सहायक निदेशक एवं खनिज विकास पदाधिकारी को सचेष्ट किया गया कि आगामी बैठक के पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप समाहरण करते हुए दिनांक 20.03.2026 तक शत् प्रतिशत् लक्ष्य की वसूली सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

2. **जब्त बालू की नीलामी :–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भोजपुर, सारण, रोहतास, गया, लखीसराय, जमुई एवं पूर्वी चम्पारण में शेष जप्त बालू/ पत्थर की मात्रा अत्याधिक है। जिन जिलों द्वारा जब्त बालू की नीलामी हेतु निविदा प्रकाशित नहीं की गई है या निविदा के प्रकाशन के उपरान्त नीलामी नहीं हो पायी है, उन जिलों को निदेश दिया गया कि अविलम्ब निविदा का प्रकाशन कर यथाशीघ्र जप्त बालू की नीलामी कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

3. **जब्त वाहनों का अधिहरण एवं निलामी :–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी जिलों में अधिहरित वाहनों की कुल संख्या 372 है, जिसमें अब तक मात्र 53 वाहनों का ही नीलामी काराया गया है। शेष 319 वाहन अभी भी नीलामी हेतु शेष है। संबंधित जिलों को निदेश दिया गया कि जिन अधिहरित वाहनों की नीलामी करायी जानी है, उसके लिए यथाशीघ्र नीलामी सम्पन्न कराये।

अन्य ऐसे वाहन जिनके वाहन मालिक/प्रतिनिधि द्वारा नियमावली के अनुसार निर्धारित समयावधि में दण्ड की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, उनका ससमय अधिहरण प्रस्ताव समाहर्त्ता के न्यायालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें तथा व्यक्तिगत रूचि लेते हुए विधि शाखा से समन्वय स्थापित कर पक्षकार को नोटिस निर्गत कराते हुए यथाशीघ्र आदेश पारित करायी जाय। नीलामी से प्राप्त राशि को ससमय कोषागार में जमा कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

4. <u>अवैध खनन/परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध कार्रवाई :–</u>

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य कुल 773.56 करोड़ रूपये के विरूद्ध माह नवम्बर 2025 तक कुल 101.89 करोड़ रूपये की वसूली की गई है। लक्ष्य के अनुरूप प्राप्ति हेतु अवैध खनन/परिवहन एवं भंण्डारण के विरूद्ध कार्रवाई हेतु निम्न निदेश दिये गये :–

- अनीलामित बालूघाटों/संवेदनशील स्थलों पर नियमित रूप से अवैध खनन/परिवहन एवं भंडारण की सघन जॉच की जाय एवं संलिप्त अवैधकर्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए नियमानुसार दण्ड की राशि वसूल की जाय। यह भी निदेश दिया गया कि खान निरीक्षकों का प्रतिदिन क्षेत्र में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध छापेमारी हेतु निदेशित करें एवं इसकी समीक्षा प्रतिदिन संबंधित सहायक निदेशक/ खनिज विकास पदाधिकारी करेंगे।
- माह नवम्बर 2025 में तीन या तीन से कम ट्रैक्टर ट्राली जप्त करने वाले जिलों अरवल, जहानाबाद, खगड़िया, बेगूसराय, बेतिया, वैशाली, शिवहर, अररिया, गोपालगंज, सीवान, सुपौल, मधेपुरा, बक्सर, समस्तीपुर एवं दरभंगा जिले से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
- अवैध खनन/परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रतिबद्ध 400 बलों की प्रतिनियुक्ति खान एवं भूतत्व विभाग में करने हेतु गृह विभाग से अनुरोध करने का निदेश दिया गया।
- विभाग द्वारा क्रियान्वित बिहारी योद्धा के तहत आसूचना देने वाले व्यक्ति को नियमतः पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया है। सभी खनिज विकास पदाधिकारी/सहायक निदेशक योजनाबद्ध तरीके से उपरोक्त योजना का प्रचार–प्रसार करते हुए आसूचना तंत्र विकसित करें एवं प्राप्त आसूचना सही होने पर संबंधित व्यक्तियों/एजेन्सियों को पुरस्कृत करने हेतु विभाग को प्रस्ताव दें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

5. <u>जब्त वाहनों के सुरक्षार्थ रखने हेतु यार्ड :–</u>

जिन जिलों में जप्त वाहनों के सुरक्षार्थ थानों में प्रयाप्त जगह नहीं है, उन जिलों के सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि

अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के दृष्टिकोण से संवेदनशील स्थलों को थाने के आस–पास चिन्हित कर प्रस्ताव दें। मुख्यालय स्तर पर इसका अनुश्रवण करने हेतु अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग को निदेशित किया गया।

(अनुपालन :–अपर सचिव/संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

6. कार्य विभागः–

दिनांक 06 एवं 07 दिसम्बर 2025 को राज्यान्तर्गत विभिन्न जिलों में S-Drive के तहत कार्य विभागों द्वारा क्रियान्वित कार्य परियोजना में व्यवहृत लघु खनिज के बावत जमा की गयी रॉयल्टी/मालिकाना फीस की जाँच दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन की समीक्षा में पाया गया कि कतिपय जाँच दल यथा खगड़िया, बक्सर, बेगूसराय, कटिहार, मोतिहारी, शिवहर, सीवान, भागलपुर, पटना, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, जहानाबाद, एवं अररिया द्वारा अनियमितता/वांछित दस्तावेज नहीं रहने के बावजूद दण्ड अधिरोपित नहीं किया गया है। इस संबंध में संबंधित जिला को निदेश दिया गया कि प्रतिवेदन के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें तथा जाँच प्रतिवेदन के अनुरूप अधिरोपित दण्ड की राशि की वसूली सुनिश्चित करें।

सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को अपने जिलान्तर्गत कार्य विभागों में संचालित परियोजनाओं के प्राक्कलन राशि, व्यवहृत लघु खनिजों की मात्रा, उसके विरूद्ध समर्पित ई–चालान तथा कटौती की गई स्वामिस्व एवं मालिकाना फीस की राशि का जाँच करने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

7. <u>लंबित भंडारण अनुज्ञप्ति के आवेदन के निष्पादन :–</u>

समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि वर्तमान में राज्यान्तर्गत सभी जिलों में जिला खनन कार्यालय स्तर पर कुल 142 आवेदन लंबित है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं रोहतास जिले में लंबित भंडारण अनुज्ञप्ति की संख्या 10 से अधिक है, जिनका अविलम्ब निष्पादन किया जाय। सभी सहायक निदेशकों/खनिज विकास पदाधिकारियों को भंडारण अनुज्ञप्ति के निष्पादन के संबंध में निम्न निदेश दिये गये :–

- आम जनों को भणडारण अनुज्ञप्ति का लाभ लेने के संबंध में जागरूकता फैलाने/सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 29.12.2025 को विशेष शिविर का आयोजन कर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें एवं पैम्पलेट तैयार कर आम जनों के बीच वितरित किया जाय। दिनांक 16.01.2026 को पुनः विशेष शिविर का आयोजन कर प्राप्त भण्डारण अनुज्ञप्ति आवेदन का निष्पादन सुनिश्चित करें। अगर दिनांक 16.01.2026 के पूर्व भी निष्पादन हो जाय, तो संबंधित को Rejection/ Acceptance की सूचना ससमय दी जाय।

- लंबित आवेदनों को विभाग द्वारा निर्गत दिश–निर्देशों के अनुरूप यथाशीघ्र निष्पादन करें।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

8. **<u>बालूघाटों की नीलामी/ नीलामित बालूघाटों के संचालन/ प्रत्यार्पित बालूघाटों का पुनर्निलामी की समीक्षा :–</u>**

समीक्षा के क्रम में अनीलामित बालूघाटों एवं प्रत्यार्पित बालूघाटों की नीलामी एवं नीलामित बालूघाटों का संचालन के संबंध में निम्न निदेश दिये गये :–

- जिन बालूघाटों के लिए वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गयी है, ऐसे बालूघाटों के लिए सभी सहायक निदेशक/ खनिज विकास पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से रूची लेते हुए CTE/ CTO का अनुश्रवण कर यथाशीघ्र बालूघाटों का संचालन प्रारम्भ कराया जाय।

- वैसे बालूघाट जिनका तीन या उससे अधिक बार निविदा प्रकाशन करने के उपरान्त भी नीलामी नहीं हो पायी है, वैसे बालूघाटों का दिनांक 16.01.2026 तक अनुमण्डल स्तरीय समिति से समीक्षा/ विशलेषण कराकर नीलामी के प्रयोजनार्थ बालूघाटों को आवश्यकतानुसार पुर्नगठित करने हेतु आवश्यकतानुसार जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में संशोधन (यदि हो तो) हेतु SEIAA में प्रस्ताव भेजने के पूर्व विभाग को सूचित किया जाय। साथ ही जब तक जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन के संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है, तब तक निविदा का प्रकाशन कर नीलामी का प्रयास जारी रखा जाय।

- प्रत्यार्पित बालूघाटों की पुनर्नीलामी कराने हेतु समाहर्त्ता के अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय समिति के स्तर पर समीक्षा दिनांक 07.01.2026 से पूर्व की जाय एवं आवश्यकतानुसार सुरक्षित जमा राशि के संशोधन (यदि हो तो) हेतु प्रस्ताव विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी)

9. **<u>अन्य बिन्दुः–</u>**

- ईंट भट्ठों एवं बालूघाट पर कार्यरत श्रमिकों का नियम के दायरे में परिचय पत्र देने एवं रोजगार संबंधी अन्य लाभ दिलाने हेतु श्रम विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

- श्री प्रभात कुमार, खान निरीक्षक, मोतिहारी को खनन विभाग की समीक्षा से संबंधित बिना जानकारी के बैठक में उपस्थित रहने कारण उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु निदेश दिया गया।

- वैशाली जिले के प्रभारी खनिज विकास पदाधिकारी का प्रभार माप–तौल निरीक्षक को दिया गया है। खनिज विकास पदाधिकारी का पद संवेदनशील एवं राजस्व के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के कारण समाहर्त्ता, वैशाली को नियम के अनुरूप किसी जिला स्तरीय पदाधिकारी/वरीय उप समाहर्त्ता को प्रभार देने का अनुरोध करने हेतु अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग को निदेश दिया गया।

- अवैध परिवहन/भण्डारण के विरूद्ध कार्रवाई में अनियमितता बरतने के लिए श्री घनश्याम झा, खनिज विकास पदाधिकारी, दरभंगा से स्पष्टीकरण पूछने तथा श्री आशीष प्रकाश, खान निरीक्षक, दरभंगा के मामले में जाँच प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

- बैठक में सभी जिलों के सहायक निदेशक/ खनिज विकास पदाधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य में से बालू, पत्थर एवं ईंट से प्राप्त होने वाले Schedule of Payments को घटाकर शेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य–योजना 03 दिनों के अन्दर मुख्यालय को समर्पित करना सुनिश्चित करें।

- लक्ष्य के अनुरूप कम समाहरण करने वाले राजस्व के दृष्टिकोण से बड़े जिलों यथा पटना, गया, रोहतास एवं औरंगाबाद की समीक्षा पृथक रूप से करने हेतु निदेशक, खान को निदेशित किया गया।

- अवैध रूप से कैपिंग जोड़ने वाले भण्डारण अनुज्ञप्तिधारियों पर दर्ज प्राथमिकी के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई यथा आरोप पत्र दायर करने के कार्रवाई, गिरफ्तारी, अधिरोपित दण्ड की वसूली हेतु तीव्रता लाने का निदेश दिया गया। अनुज्ञप्ति के शर्त्तो के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :–सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
(विजय कुमार सिन्हा)
उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री

ज्ञापांक :– 240 /एम0, पटना, दिनांक :– 08/01/26

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/संयुक्त सचिव/अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी (मु0/क्षे0)/आई0टी0 प्रबंधक खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/01/26
(मनेश कुमार मीणा)
निदेशक, खान